

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञाप सं०-6/खा० म० विविध-लोक भूमि-01/2014-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक:- / /

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

भनौपचारिक  
रूप से  
रामर्शित

**विषय :-** शहरी क्षेत्रों की सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष-2015-16 में 650.00 लाख रूपए (छः करोड़ पचास लाख) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

1. सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर सरकारी भूमि का संरक्षण कर भूमि सुरक्षित किये जाने हेतु सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.00 करोड़ (एक करोड़) रू० की स्वीकृति ज्ञापांक-6/खा० म० विविध-लोक भूमि-01/2014-524 (6) दि०-26.05.15 द्वारा की गयी थी।
2. भवन निर्माण विभाग के पत्र सं०-10188 (म०) दि०-28.09.15 (पृ०-178/प०) के द्वारा भवन प्रमण्डल, छपरा/सुपौल/मोतिहारी एवं सहरसा द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में कुल-6,55,78,158/- रू० की राशि भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 के अन्तर्गत सुसंगत शीर्ष में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।
3. तृतीय अनुपरक आगणन, वित्तीय वर्ष, 2015-16 में 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) रू० की राशि प्राप्त हुई है।
4. सरकारी (लोक) भूमि के घेराबन्दी के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रति सौ रनिंग फीट के आधार पर दो मानक प्राक्कलन क्रमशः रू० 1,92,000 (प्रति सौ फीट) एवं रू० 2,08,000 (प्रति सौ फीट) तैयार किए गए हैं। उन्हीं मानक प्राक्कलनों के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए भूमि की घेराबंदी करायी जाएगी।
5. उपर्युक्त क्रम में भवन निर्माण प्रमण्डल, छपरा/सुपौल/मोतिहारी एवं सहरसा जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी (लोक) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर संरक्षित भूमि की पक्की घेराबन्दी सुनिश्चित किए जाने सम्बन्धित कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष-2015-16 में 650.00 लाख रूपए (छः करोड़ पचास लाख) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी जाती है।
6. उपरोक्त कार्य पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-3 के अन्तर्गत योजना मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघुशीर्ष-051 निर्माण, समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0119 सरकारी भूमि की घेराबंदी विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड-P-4059800510119) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जाएगा।

7. इस योजना से सम्बन्धित राशि का व्यय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गयी जिलावार/अंचलवार राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
8. इस योजना के लिए राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।
9. योजना अन्तर्गत कराये गये कार्य के सम्बन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयानुसार प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एवं डी० सी० विपत्र महालेखाकार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा० म० विविध-लोक भूमि-01/2014- (6)/रा०, पटना-15, दिनांक:- / /  
प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा० म० विविध-लोक भूमि-01/2014- (6)/रा०, पटना-15, दिनांक:- / /  
प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा० म० विविध-लोक भूमि-01/2014- 413 (6)/रा०, पटना-15, दिनांक:- 30/3/18  
प्रतिलिपि:-संबंधित समाहर्ताओं, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार, आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।